उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-01/2019/33/92-2-19-58जॉच/2018
लखनऊ:: दिनांक 04 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में अपने योगदान की तिथि 16-12--2016 से लगभग 11 माह पश्चात दिनांक 27-10-2017 को 04 अनुबंधों के संबंध में तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री जब्बार हुसैन को पत्र लिखने एवं इस अवधि में बिना धनावंटन एवं अनुबंध के कार्य कराने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुंलदशहर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिवा

संख्या-01/2019/33(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1143/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0-श्री जब्बार हुसैन/2018-19 दिनांक 07-09-2018 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर।
4- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in